

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 255]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मई 2022—वैशाख 30, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 मई 2022

क्र. एफ-ए-3-08-2018-1-पांच-(18).—मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के उपनियम (14) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, राज्य कर मध्यप्रदेश, द्वारा मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर से परामर्श उपरान्त और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-08-2018-1-पांच (43) भोपाल दिनांक, 24 अप्रैल, 2018 समय-समय पर संशोधित को अधिक्रमित करते हुए, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित माल के संचलन के लिए ई-वे बिल सृजित करने की अपेक्षा नहीं होगी:—

तालिका

स. क्र. (1)	क्षेत्र और उद्देश्य (2)	माल का विवरण (3)	माल का मूल्य (4)
1	जिले के भीतर संचलन	समस्त माल	कोई भी मूल्य हो
2	एक जिले से दूसरे जिले में संचलन	स. क्रमांक 3 एवं 4 के कॉलम (3) में उल्लेखित मालों के अतिरिक्त समस्त माल	एक लाख रुपये से अधिक नहीं होने पर.
3	एक जिले से दूसरे जिले में संचलन	सभी प्रकार के तम्बाकू और उसके उत्पादों जैसे च्यूइंग टोबैको खैनी, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि (चेप्टर 24 के समस्त माल) और पान मसाला (टैरिफ हेडिंग 2106)	पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होने पर
4	एक जिले से दूसरे जिले में संचलन	मेडिसिन, सर्जिकल गुडस् और मेडिसिन के एक्टिव फॉर्म्युटीकल इनग्रेडिएन्स जिनके एचएसएन कोड 3003, 3004, और 3006 हैं.	कोई भी मूल्य

2. अतः उपरोक्त तालिका के सरल क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 में निर्दिष्ट के अतिरिक्त समस्त मालों के अन्तःराज्यीय (राज्य के भीतर) संचलन की दशा में ई-वे बिल सृजित किया जाना आवश्यक होगा. राज्य में अन्तःराज्यीय (राज्य के भीतर) के मामले में नियम 138, 138ए, 138 बी, 138 सी, 138 डी एवं 138 ई में दिए गए समस्त प्रावधान तथा प्रक्रियाएं यथा आवश्यक संशोधन सहित लागू रहेंगी.
3. यह अधिसूचना दिनांक 15 अप्रैल 2022 प्रवृत्त हुई मानी जाएगी.
4. इस अधिसूचना के समानांतर अंग्रेजी अधिसूचना क्रमांक **F A 3-08-2018-1-V(18)** भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2022 तथा अधिसूचना का शुद्धि पत्र क्रमांक **F A 3-08-2018-1-V(20)** भोपाल, दिनांक 04 अप्रैल 2022 को जारी की जा चुके हैं.

लोकेश कुमार जाटव, आयुक्त.